

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 23/09/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 23/09/2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री जगदीश चंद्र, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
3. श्री रणवीर सिंह, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
4. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSZ) (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) और (v) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 09/09/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 09/09/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 09/06/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) एविसोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - उत्पादन क्षमता के अद्यतन और प्रदर्शन की निगरानी के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

सुरेन्द्र मलिक

2.1 इकाई के निदेशक श्री अवधेश कुशवाह और श्री समीर नारंग अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद उत्पादन क्षमता के अद्यतन के लिए दी गई अनुमति की पुष्टि की। अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की भी निगरानी की और 01.04.2018 से 31/03/2023 तक इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) की उपलब्धि पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि 31/03/2023 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं थी।

(3) पी मितल मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड - अधिकृत परिचालन के विवरण और आईटीसी (एचएस) कोड में संशोधन और स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त मदों को शामिल करना।

3.1 श्री मनोज अरोड़ा, श्री ए के ठाकुर और श्री रामपाल सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रस्तावित एचएस कोड में से कुछ, या तो सही नहीं लगते हैं या मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा, प्रस्तुत वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) के अनुरूप एनएसडीएल आंकड़े में कोई निर्यात/मान्य निर्यात उपलब्ध नहीं था।

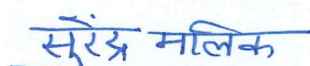
3.2 श्री ठाकुर ने बताया कि उन्होंने आज तक कोई भौतिक निर्यात नहीं किया है। इकाई ने अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) इकाइयों और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाइयों को आपूर्ति की।

3.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत संचालन के विवरण और आईटीसी (एचएस) कोड में संशोधन और स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह प्रत्येक उत्पाद के सही एचएस कोड और उत्पादन क्षमता प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने इकाई को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के साथ-साथ अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) इकाइयों को आपूर्ति के लिए एसईजेडऑनलाइन सिस्टम पर फाइलिंग के विवरण के साथ सही वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(4) इडेमिया सिस्कोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना।

4.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री नवीन कैंथ अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि भौतिक निर्यात के अलावा, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाइयों को सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए) की आपूर्ति की गई थी। इन्हें नियम 53ए (आई) के तहत कवर किया गया था और निवल विदेशी मुद्रा (NFE) के लिए गिना गया था। हालांकि, इकाई ने दावा किया कि एनएसडीएल में ऐसी आपूर्ति को दर्शाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

सुरेंद्र मलिक

हालांकि यह संशोधित/सही विदेशी मुद्रा वित्तीय स्थिति विवरण प्रस्तुत करने के अधीन है। इसके अलावा, समिति ने परियोजना प्रभाग को एनएसडीएल आंकड़े में विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) नियम 53ए (आई) के खिलाफ इकाई द्वारा की गई आईटीए वस्तुओं की आपूर्ति को न दर्शाने के मामले को उठाने का भी निर्देश दिया।

(5) शिनपैक ओवरसीज एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना और प्रदर्शन की निगरानी।

5.1 श्री कनव शिंगला, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

5.2 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि ईएम अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्लॉट नंबर 38, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में इकाई को दी गई साझा करने की अनुमति वर्तमान में मान्य नहीं है। इसके अलावा, प्रस्तावित एचएस कोड 62011290 में से एक मौजूद नहीं है। इसके अलावा, इकाई ने आज तक नियम 53ए के तहत इकाई द्वारा की गई आपूर्ति का सीमा शुल्क सत्यापित आंकड़े प्रदान नहीं किया है, जैसा कि 2022 में अनुरोध किया गया था।

5.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह सही एचएस कोड प्रस्तुत करने और प्लॉट नंबर 38, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में साझा करने की अनुमति के विस्तार के अधीन है। अनुमोदन समिति ने इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) नियम 53ए के तहत की गई आपूर्ति के साथ-साथ वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) का सीमा शुल्क सत्यापित विवरण जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(6) स्टर्लिंग ऑनार्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड - अधिकृत परिचालन में संशोधन।

6.1 श्री विशाल गुप्ता, निदेशक और श्री प्रशांत श्रीवास्तव, प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत परिचालन में अर्ध-तैयार चांदी के आभूषण (71131141) के विनिर्माण को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अर्ध-तैयार चांदी के आभूषणों के लिए प्रस्तावित एचएस कोड पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अधीन है।

(7) दिव्या क्रिएशन्स - स्वीकृति पत्र (LOA) शर्तों में संशोधन का अनुरोध।

7.1 श्री सुमित गुप्ता, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

7.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, लैब में उगाए गए हीरे से जड़े सोने के आभूषणों के संबंध में स्वीकृति पत्र (LOA) से निम्नलिखित शर्तों को हटाने का फैसला किया:

सुरेंद्र मलिक

“(i) इकाई प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों के आयात और निर्यात के बीच एक-एक संबंध बनाए रखेगी।

(ii) शुद्धता/कैरेटेज के संबंध में परीक्षण के लिए नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क द्वारा प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों का नमूना लेना।”

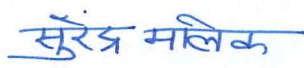
(8) अपोडिक्टिक रिसर्च एलएलपी - सेवा चालान का अनुमोदन और सॉफ्टवेक्स फॉर्म दाखिल करने से संबंधित मुद्दे।

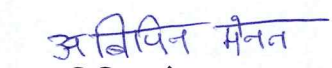
8.1 श्री चिन्मय रीगल, भागीदार और श्री दीपक खन्ना, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। अनुमोदन समिति ने पाया कि क्लिनिकल परीक्षण गतिविधियाँ और उसके बाद के निर्यात फार्मास्युटिकल क्षेत्र में ध्यान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र थे।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद उनके प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। हालांकि, यह इस शर्त पर है कि इकाई अपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) इकाई के कामकाज के मॉडल पर एक लेख प्रस्तुत करे, खासकर स्वीकृति पत्र (LOA) के तहत अधिकृत संचालन करने के लिए प्राप्त सेवाओं के संबंध में, और इसका आवेदन निर्दिष्ट अधिकारी से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए। अनुमोदन समिति ने निर्दिष्ट अधिकारी और परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को इकाई का भौतिक निरीक्षण करने और मौजूदा बुनियादी ढांचे और कर्मियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। समिति ने विकास आयुक्त के कार्यालय को अंतिम मंजूरी देने के लिए इन प्रस्तुतियों और फाइल पर रिपोर्टों की जांच करने के लिए अधिकृत किया।

8.3 अनुमोदन समिति ने यह भी देखा कि इकाई द्वारा की जा रही सेवाएं 'सॉफ्टवेयर सेवाएं' नहीं हैं, इसलिए सॉफ्टवेक्स दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। समिति ने इकाई को निर्देश दिया कि वह एसईजेडऑनलाइन प्रणाली पर एसईआरएफ (SERF) दाखिल करना सुनिश्चित करे तथा स्वीकृति पत्र (LOA) के अनुसार निर्यात की गई सेवाओं और निर्यात आय की प्राप्ति के संबंध में आरबीआई के सभी लागू निर्देशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करे।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


(सुरेन्द्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त